


1

7

न्यायालय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल
ग्वालियर



II/ मि०रांजी/सतना/श्र० (2017) 1636

सीतादेवी धर्मपत्नी दिलीप कुमार पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी शेरगंज तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....निगराकार/आपत्तिकर्ता

बनाम

लाल बहादुर सिंह पटेल तनय स्व० रामगुलाम सिंह पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी शेरगंज तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....

.....गैरनिगराकार/आवेदक

म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर सतना जिला सतना म०प्र०.....

.....अनावेदक/गैरनिगराकार

मुकुेश भार्गव (उडीकरे)
द्वारा दिनांक 5-6-17 का
प्रस्तुत

5-6-17

मुकुेश भार्गव
5-6-17 (उडीकरे)
ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील रघुराजनगर वृत्त रैगांव के राजस्व प्रकरण क्र०-435/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 25.05.2017

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-रा०सं० 1959

निगराकार/आपत्तिकर्ता द्वारा निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक/गैरनिगराकार लालबहादुर सिंह द्वारा मौजा शेरगंज तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० मे स्थिति आराजगी नं०- 81/1/28/1 उक्तता 0029 हे० आराजगी नं०-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

114

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक #19/नर/21/25/17/1636

श्रीगदवा/पालवडाडु

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>सु.रा. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार <u>स.ए.रा.रा. शर्मा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>04/32-5/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>25-5-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>श.रा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>10/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>श.रा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

[Signature]